राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सोहनलाल बनाम राजेन्द्र हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1253/2024 223	
20/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो	
01/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम प्रागपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड़ में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 1255 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1256 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1257 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1258 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12579 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1260 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1261 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1262 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 0.740 आराजी स्थित है के भू-अभिलेखित खातेदार काश्तकार वादी एवं प्रतिवादीगण है तथा मौके पर हिस्सेनुसार प्रत्येक सहखातेदार उक्त आराजी का उपयोग-उपभोग करते हुये काबिज काश्त है	प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 7 बाहमी बंटवारे के अनुसार बिना विधिवत तकासमा कराये उक्त आराजीयात को दीगर लोगो को बैचान करने की धमकी देते है तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर उतारू है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 7 का वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजी से कोई लेना-देना ताल्लुक अथवा वास्ता नही है, ना ही कभी रहा है	वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 7 को कई मर्तबा कहा कि राज में चलकर आराजी का बाहमी बंटवारे के अनुसार विधिवत तकासमा करवा लो तथा अपना-अपना खाता अलग करवा लो किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 7 नही मान रहे एवं, जिस कारण वाद पेश करना लाजिम आया | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये	तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्ष की उपस्थिति में प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/09/2022 पारित करते हुए तहसीलदार पावटा को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये , जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार पावटा द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित किये जाने पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12/08/2024 पारित कर दी गयी	जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष धारा-5 कानून मियाद के साथ यह	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सोहनलाल बनाम राजेन्द्र हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 3 व 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम प्रागपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड़ में स्थित विवादग्रस्त भूमि 0.74 हैक्टेयर आराजी में अपीलार्थी एवं रेस्पो. सहखातेदार है | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर मात्र अपीलार्थी की और से तथाकथित अधिवक्ता द्वारा अन्डर टेंकिंग दिये जाने के आधार पर दिनांक 15/09/2022 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की गयी है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर नही जाकर एवं अपीलार्थी को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर एकपक्षीय बाला-बाला कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लिये बगैर ही एवं दस्तावेजात का अवलोकन किये बगैर मात्र कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03/07/2024 एवं संशोधित आदेश दिनांक 12/08/2024 पारित किये जाने में गम्भीर क़ानूनी त्रुटी कारित की गयी है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चौथू पुत्र नाथू के दौराने वाद फौत हो जाने के पश्चात उनके वारिसान की तामील नही करवायी गयी | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त भूमि में अपीलार्थी को छोटे-छोटे टुकडो में तीन जगह भूमि दी गयी है, जो गलत है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो की अनदेखी करते हुये निर्णय व डिक्री पारित करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की है | अत: अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार फरमाई जावे |

अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुए ही समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर विभाजन की अपीलाधीन डिक्री सही रूप से पारित की गयी, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी नही है | अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी उपस्थित रहे है एवं अपीलार्थी की और से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति बाबत कुर्रेजात भी पेश किया गया है, ऐसेमें अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होने के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य स्वत: ही गलत सिद्ध हो जाते है | अपीलार्थी द्वारा सरसरी तौर पर तथ्य अंकित कर डिले

तारीख हुक्म	सोहनलाल बनाम राजेन्द्र हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कन्डोन करवाना चाहा गया है | अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर पेश होने एवं आधारहीन होने से ख़ारिज फरमाई जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण की कार्यवाहीयो में निरन्तर भाग लिया गया है | ऐसी स्थिति में उन्हें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी तत्समय नही होने के तर्क मान्य होने योग्य नही रह जाते है एवं अपीलार्थी डिले कन्डोन करवाने के अधिकारी नही रह जाते है | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया जाना स्पष्ट होता है, जिसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनाक 03/07/2024 एवं संशोधित आदेश दिनांक 12/08/2024 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी मियाद बाहर प्रस्तुत होने एवं गुणावगुण पर भी उसमे बल नही होने से ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |